दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 12-07-2025

मान्यता के बगैर चल रहे निजी स्कूलों में एडमिशन पर हाई कोर्ट की रोक

हाई कोर्ट ने कहा- बच्चों और अभिभावकों के अधिकारों का संरक्षण जरूरी

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

प्रदेश के कई निजी स्कूल बिना किसी मान्यता के नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की पढ़ाई करा रहे हैं। मामले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने स्कूल शिक्षा सचिव को हलफनामा के साथ बताने को कहा है कि जब 2013 के सर्कुलर के अनुसार नर्सरी कक्षाएं भी मान्यता के दायरे में आती हैं, तो फिर बिना मान्यता स्कूल कैसे चलाए जा रहे हैं? हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक इन स्कूलों को मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक वे किसी नए छात्र को प्रवेश नहीं दे सकेंगे। हालांकि पहले से प्रवेश ले चुके छात्रों की पढ़ाई जारी रहेगी। उनका प्रवेश रद्द नहीं किया जाएगा।में बिना मान्यता संचालित हो रहे निजी स्कूल नए सत्र में छात्रों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे।

निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 यानी आरटीई के पालन को लेकर विकास तिवारी द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने 30 जून को लोक शिक्षण संचालनालय को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। 11 जुलाई को शपथपत्र पेश कर बताया गया कि नर्सरी से केजी-2 तक संचालित स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य नहीं है। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट संदीप दुबे और मानस वाजपेयी ने आपत्ति दर्ज करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार नर्सरी से केजी-2 तक की कक्षाएं संचालित करने वाले सभी गैर शासकीय स्कूलों को मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है।

पहले से हो चुके प्रवेश नहीं होंगे निरस्त

हाई कोर्ट ने यह निर्देश भी जारी किया गया कि फिलहाल प्रदेश की किसी भी गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में नए छात्रों का प्रवेश न लिया जाए। हालांकि, पहले से हो चुके प्रवेश निरस्त नहीं किए जाएंगे।

बिक रहीं निजी प्रकाशकों की किताबें

मामले में एक अन्य याचिकाकर्ता सीवी. भगवंतराव की ओर से एडवोकेट देवर्षि ठाकुर ने बताया कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2022 में लगाई गई याचिका पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए राज्य सरकार को निजी पुस्तकों के उपयोग पर रोक लगाने से मना किया था। इसके बाद कई स्कूल अभिभावकों पर निजी पब्लिकेशन की किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं।

350 से अधिक निजी स्कूल बगैर मान्यता के

डीपीआई के शपथ पत्र में बताया गया कि पूरे प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कितने निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। यह नहीं बताया गया कि इसमें से कितने के पास मान्यता नहीं है। कुल 7195 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं, इसमें से 350 से अधिक बगैर मान्यता के संचालित हो रहे हैं।

नर्सरी से हाईस्कूल तक 7195 निजी स्कूल

- नर्सरी से केजी-2 तक: 72 स्कूल
- नर्सरी से प्राथमिक स्तर तक : 1391
- नर्सरी से पूर्व-माध्यमिक स्तर तक: 3114
- नर्सरी से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक: 2618